तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28/05/17	वकील पक्षकारान उप० पत्रावली बाबत बहस पा० पक्ष दिनांक 11/5/17 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)
11/5/17	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी राज. प्रशन/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 2/5/17 को पेश हो।
2/05/17	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु.पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्रा.पं. लाखा में दिनांक 11/5/17 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी,टोंक
11/5/2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में लाखा में पेश हुई वादी मृत०/प्रतिवादी [illegible] लिखित पत्रावली का अवलोकन किया गया) कई मर्तबा के बाद भी वकील पक्षकारान बहस हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं प्रकरण में T.I पारित की जा चुकी है प्रकरण काफी पुराना हो चुका है अब T.I की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण अस्थायी विलम्बित श्रेणी स्तर पर ही खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर की जाय (श्री० सूरज सिंह बैनी) उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner